48 (498/1)

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0

7/23, सेक्टर–7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ–226027
Website-sudaup.org

पत्रांक : 1118 /28/76/एक/2018–19 दिनांक :26 फरवरी 2019

सेवा में,

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद–**कानपुर नगर।**

विषय : मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण

महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 में आपके जनपद को मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत (अनुदान संख्या–37/83) में शासन द्वारा स्वीकृत की गई निम्न परियोजनाओं की प्रथम किश्त की धनराशि निम्नलिखित विवरण के अनुसार अवमुक्त की जा रही है:–

धनराशि का प्रेषण (लाख रू0 में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
एच0डी0एफ0सी0 बैंक	50100092871077	IFSC Code HDFC0002080	218.163

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	अनुदान संख्या	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण	शासन से प्राप्त धनराशि में सेन्टेज की कटौती के उपरान्त प्रेषित धनराशि
1	कानपुर नगर	मु0अ0–37	न0नि0 कानपुर	वार्ड नं0 46 न्यू आजाद नगर में प्रेमा निवास के मकान से रामश्याम ट्रेडर्स तक एवं गेट इण्डिया कान्वेन्ट से आशीष यादव के मकान तक एवं पास की गलियों में इण्टरलॉकिंग नाली निर्माण कार्य।	23.871	100%
2	कानपुर नगर	मु0अ0–37	न0नि0 कानपुर	वार्ड नं0 47 भवानी नगर श्याम नगर भवानी नगर श्याम नगर में दीपक शुक्ला के मकान से हाईवे तक एवं पास की गलियों में इण्टरलॉकिंग नाली निर्माण कार्य।	26.050	100%
3	कानपुर नगर	मु0अ0–37	न0नि0 कानपुर	वार्ड नं0 74 आदर्श विहार श्यामनगर में विनोद अग्निहोत्री के मकान से अन्नत कुमार तिवारी के मकान तक इण्टरलॉकिंग नाली निर्माण कार्य।	16.762	100%
4	कानपुर नगर	मु0अ0–37	न0नि0 कानपुर	वार्ड नं0 47 मो0 रामपुरम श्याम नगर में सरला सिंह के मकान से नैन सिंह यादव के मकान तक इण्टरलॉकिग नाली निर्माण कार्य।	13.773	100%
5	कानपुर नगर	मु0अ0–37	न0नि0 कानपुर	वार्ड नं0 74 मो0 गोदियाना गांव में मलखान सिह ट्रांसफार्मर से (गया प्रसाद) मंगला विहार प्रथम गेट के मकान तक इण्टरलॉकिंग नाली निर्माण कार्य।	25.036	100%

(498/2)

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0

7/23, सेक्टर–7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ–226027
Website-sudaup.org

क्र0 सं0	जनपद का नाम	अनुदान संख्या	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण	शासन से प्राप्त धनराशि में सेन्टेज की कटौती के उपरान्त प्रेषित धनराशि
6	कानपुर नगर	मु0अ0–37	न0नि0 कानपुर	वार्ड नं0 88 मो0 हनुमन्त विहार नौबस्ता पार्ट ए में शिवराज सिंह गौतम के मकान से इन्द्रप्रस्थ गेस्ट हाउस तक एवं पास की गलियों में, ओम शान्ती इलेक्ट्रिक स्टोर के सामने से सीयाराम शर्मा के मकान तक, स्वर्णिम ज्वैलर्स के पास राम लखन वर्मा के मकान से रोशनलाल के मकान तक इण्टरलॉकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	23.604	100%
7	कानपुर नगर	मु0अ0–37	न0नि0 कानपुर	वार्ड नं0 88 हनुमन्त विहार नौबस्ता पार्ट–बी 1 में महेन्द्र सिंह यादव के मकान से नरेन्द्र दीक्षित के मकानत तक, एस0इलेक्ट्रानि से राम कृपाल परिहार के मकान तक, सन्तोष पाल के मकान से अशोक शर्मा, राजेश शुक्ला के मकान से सचान ट्रेडिंग कम्पनी तक इण्टरलॉकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	26.059	100%
8	कानपुर नगर	मु0अ0–37	न0नि0 कानपुर	वार्ड नं0 88 हनुमन्त विहार पार्ट–सी में श्रवण द्विवेदी के मकान से संजय दीक्षित के मकान तक, शिवमंगजम गेस्ट हाउस से रज्जन गुप्ता के मकान तक, रानी मिश्रा के मकान से श्याम मेडिकल स्टोर तक, आदर्श प्रो0 स्टोर से अरविन्द तिवारी के मकान तक इण्टरलॉकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	24.102	100%
9	कानपुर नगर	मु0अ0–37	न0नि0 कानपुर	वार्ड नं0 88 मो0 हनुमन्त विहार नौबस्ता पार्ट – जी में ज्ञान सिंह यादव के मकान से राजू दीक्षित के मकान तक एवं पास की गलियों में इण्टरलॉकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	20.463	100%
10	कानपुर नगर	मु0अ0–37	न0नि0 कानपुर	वार्ड नं0 65 मो0 संजय गांधी नगर पार्ट बी में सन्जू पाल के मकान से प्रतीक नारायण के मकान होते हुए जयकरन द्विवेदी के मकान तक, राजेन्द्र प्रसाद तिवारी के मकान से के0सी0त्रिपाठी के मकान तक, मुन्ना अवस्थी के मकान से भानू शर्मा के मकान तक इण्टरलॉकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	18.443	100%
					218.163	

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:–

1– उ0प्र0 सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना हेतु स्वीकृत डी0पी0आर0/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायें। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।

2– स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।

(498/3)

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0

7/23, सेक्टर–7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ–226027
Website-sudaup.org

3– प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति
आवश्य प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।
4– अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में
राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नही की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य
कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरूपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में
प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
5– स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की
जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता/पुरातत्व विभाग आदि के अन्तर्गत
यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
6– प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों के
अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।
7– परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि
भविष्य में समुचित रख–रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों
के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।
8– योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2018–19 में अवश्य करा लिया जाये तथा
उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित
अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नही प्राप्त होती है तो शासन द्वारा
निर्धारित ब्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।
9– उक्त धनराशि डूडा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तो/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद
में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध
धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।
10– प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्त्रोत पर कटौती सम्बन्धी
अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का
अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
11– अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की
गई है। किसी प्रकार का व्ययवर्तन अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के क्रम में
धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यो में यदि कार्य/धनराशि की दैरावृत्ति हो
रही हो तो उसका भुगतान न करते हुये उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्ति करें।
अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।
12– **शासन द्वारा उक्त परियोजनाओं में अवमुक्त की गई धनराशि में से अनुमन्य सेन्टेज की धनराशि रोककर शेष धनराशि
अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता
प्रमाण पत्र व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति सहित अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।**

भवदीय,

(साजिद आजमी)
वित्त नियन्त्रक

<u>पत्रांक एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि :निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक/परि0 अधि0, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. कार्यक्रम अधिकारी, सूडा।
3. कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग–सूडा।

(साजिद आजमी)
वित्त नियन्त्रक